गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/14457-15046 दिनांक: 06 जुलाई, 2010

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय-- मा0 राज्यमंत्री, प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 11.6.2010 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि दिनांक 11.6.2010 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1. आई0सी0टी0 परियोजना के संबंध में शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि नेशनल नालेज नेटवर्क से अध्ययन सामग्री लेकर छात्रों के प्रयोग में लाई जाय । शैक्षिक सुधार के लिये सभी कालेज अधिकतम प्रयोग करते हुए इसका लाभ उठायें। इस संबंध में की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को भी अवगत कराया जाय ताकि तदनुसार शासन को सूचित किया जा सकें ।
2. रैगिंग की रोकथाम के संबंध में सभी संस्थाओं निर्देशित किया गया कि वे रैगिंग की रोकथाम के लिये समयान्तर्गत प्रभावी कदम उठाये ताकि भविष्य में रैगिंग से संबंधित कोई भी प्रकरण न आने पाये। संस्था स्तर पर गठित रैगिंग नियत्रंण सेल से निरीक्षण प्रारम्भ कराया जाए । प्रवेश के समय रैगिंग नियत्रंण सेल इस संबंध में कारगर कदम उठायें। कही से कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तत्काल वहां जाकर निरीक्षण करें। रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए । सभी संबंधित अधिकारियों के फोन नं0 आदि की सूचना दी जाए कि किस अधिकारी से सम्पर्क किया जाना है। अनुदानित अभियंत्रण संस्थानों के निदेशक भी इसका ध्यान रखे तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य व्यवस्था से छात्रों को अवगत कराएं। संस्थान अपनी पुरानी आतंरिक कमेटियों को बदलते हुए नई कमेटियॉ गठित की जाय । सभी संस्थाओं को निर्देशित है कि छात्रों के प्रवेश के समय उसको रैगिंग के संबंध में ब्रोशर दिया जाए कि जरूरत पड़ने पर वह उसका प्रयोग कर सकें । निजी क्षेत्र के कालेजों को निर्देशित किया गया है कि प्रथम वर्ष के प्रत्येक 10 बच्चो पर एक टीचिंग फैकल्टी को काउंसलर नियुक्त कर दिया जाए जिसमें यह व्यवस्था हो कि वे 10 बच्चे उस काउंसलर की निगरानी में होगें ताकि वे अपनी समस्या से उनको अवगत करा सकें ।

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

उक्त के संदर्भ में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.6.10 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/13645-14234, दिनांक 1.7.2010 आवश्यक दिशा निर्देश समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के साथ रैगिंग की रोकथाम के विषय में आपको पुनः सूचित किया जा रहा है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित व्यवस्थाएं गठित की जाए और इस परिपेक्ष्य में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि फीस प्रतिपूर्ति के सभी प्रस्ताव दिनांक 31.10.10 से पूर्व समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस संबंध में पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/8758-9347, दिनांक 8 जून, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को सूचित किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2010-11 में प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों का वितरण समयान्तर्गत सुनिश्चित करने एवं दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण संबंधी अतिरिक्त दिशा निर्देशों से संबंधित शासनादेश सं0 1668/26-3-2010, दिनांक 29.4.2010 को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0 /2010/11590-12179, दिनांक 25 जून, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित करते हुए शासनादेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन संस्था स्तर पर सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिये गये हैं ।

कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

<u>पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा (अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 1625/सोलह-1-2010-145/2010, दिनांक 01.7.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव